जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 45/2013 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 आर एम ए जी फस्ट फलोर, सेन्टियल माल के–2 सेक्टर न0 18 नोयडा जिला गौतमबुद्ध नगर (उतरप्रदेश) बनाम मैसर्स परमानंद चेरिटेबल ट्रस्ट जरिये रमेशचंद अरोड़ा स्व0 श्री परमानंद अरोड़ा निवासी 17 ब्लाक ए एम शालीमार बाग, न्यू देहली–52

04.10.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई की ओर से श्री सुनील कुमार सरना शाखा प्रबन्धक जरिये अधिवक्ता श्री महादेव मिढ़ा के प्रा0 पत्र मय दि0 28.08.17 का प्रमाण पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स परमानंद चैरिटेबल ट्रस्ट जरिये रमेशचन्द अरोड़ा पुत्र स्व0 श्री परमानंद अरोड़ा निवासी 17 ब्लाक ए एम शालीमार बाग न्यू देहली–52 को ऋण सुविधा के रूप में 21,00,000रूपये (अखरे इक्कीस लाख मात्र) **ऋण** दिनांक 18.01.2007 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी ऋणी रमेश चन्द अरोड़ा ने अपनी सम्पति प्लाट साईज 150X175 वर्गफुट कुल 26260वर्गफुट नगरपालिका गजसिंहपुर द्वारा जारी पटटा दिनांक 26.07.1993 को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी द्वारा उक्त ऋण राशि एवं ब्याज का भुगतान समय पर नही किया गया जिस कारण उसका ऋण खाता दिनांक 19.01.2010 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर दिनांक 19.01.2010 को ऋण राशि 20,61,834रूपये एवंम इसके बाद का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थी ऋणी से उक्त ऋण राशि वसूली के लिऐ धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 16.05.2012 को भिजवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त ऋण की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री रमेशचन्द अरोड़ा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पति प्लाट साईज 150X175 वर्गफुट कुल 26260वर्गफुट नगरपालिका गजसिंहपुर द्वारा जारी पटटा दिनांक 26.07.1993 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

अप्रार्थी ऋणी की तरफ से दिनांक 29.06.16 को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी एन.ओ.सी. दिनांक 29.06.2016 का प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार बकाया राशि जमा होने के पश्चात अप्रार्थी का खाता सं0 673205116749 बन्द कर दिया गया है जिसके संबंध में प्रार्थी बैंक से भी कार्यालय के पत्र दिनांक 20.09.16, 11.11.16, 28.12.17, 03.08.17 के द्वारा जानकारी चाही गई। जिस पर प्रार्थी बैंक के शाखा प्रबन्धक श्री सुनील कुमार सरना की ओर से आज दिनांक 04.10.17 को लिखित प्रा0 पत्र जरिये अधिवक्ता श्री महादेव मिढ़ा के प्रस्तुत करके प्रार्थना की गयी है कि प्रकरण संख्या 45/2013 जो प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसमें अप्रार्थी फर्म से समस्त राशि वसूल हो चुकी है और अप्रार्थी ऋणी का खाता सं0 673205116749 दिनांक 08.06.15 को बन्द कर दिया गया है और इस संबंध में बैंक द्वारा अप्रार्थी को एन.ओ.सी. भी जारी कर दी गयी थी। उनके द्वारा यह भी प्रार्थना की गयी है कि उक्त प्रकरण में समस्त राशि वसूल हो चुकी है। इसलिए इस प्रकरण में कार्यवाही समाप्त किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नही है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र दिनांक 04.10.17 के अनुसार प्रार्थी बैंक की उक्त समस्त बकाया ऋण राशि वसूल हो चुकी है और अप्रार्थी ऋणी का खाता संख्या 6732055116749 भी दिनांक 08.06.15 को पूर्ण राशि वसूल होने पर बन्द किया जा चुका है और प्रार्थी बैंक प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नही चाहता है। इसलिए इस प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर है।

यह आदेश आज दिनांक 04.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सा0/-
(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर